न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-108/2022

राज्य

बनाम्

राजेन्द्र प्रसाद वगैरह

—: आदेश :—

04/05/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2239/अप0शा0 दिनांक 12.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—169/2022 दिनांक—06.09.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त 1. ट्रक रजि0 नं0—BR26E-5784 एवं 2. हाईवा रजि0 नं0—JH02AQ-4220 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी पुलिस अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद वर्तमान में बालूमाथ थाना अन्तर्गत अमरवाडीह पिकेट प्रभारी के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—169/2022 दिनांक—06.09.2022 दर्ज किया गया। पुलिस अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद, अमरवाडीह पिकेट प्रभारी को दिनांक 06.09.2022 को रात्रि समय करीब—01:30 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि टंडवा थाना अन्तर्गत मगध परियोजना के कुण्डी कोलियरी से चोरी का अवैध कोयला लदा हुआ ट्रक एवं हाईवा बालूमाथ होकर अन्य शहरों में बिक्री के लिए जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू सशस्त्र बल के साथ समय करीब—01:40 बजे रात्रि मगध कोलियरी के ग्राम आरा स्थित 09 नं0 बैरीयर के पास पहुंचकर वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार 09 नं0 बैरीयर के पास सशस्त्र बल के साथ कुण्डी के तरफ से आने वाले कोयला लदे वाहनों का जांच करना शुरू किया गया। समय करीब 02:20 बजे कुण्डी के तरफ से कई वाहन आता दिखाई दिया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से टार्च की रौशनी जलाकर उक्त वाहनों को रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देखकर कुछ दूर पहले ही वाहन को खड़ा कर वाहन चालक भागने लगे। तत्पश्चात सशस्त्र बल के सहयोग से भाग रहे वाहन चालकों को पकडने का प्रयास किया गया, जिसमें एक वाहन चालक

को पकड़ा गया तथा दुसरा वाहन चालक रात्री एवं अंधेरा तथा झाड़ी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। तत्पश्चात् सशस्त्र बल के सहयोग से एक–एक कर दोनों वाहनों का जांच किया तो देखा कि एक बारह चक्का ट्रक जिसका रजि0 नं0–BR26E-5784 में करीब 24 टन कोयला एवं दस चक्का हाईवा जिसका रजि0 नं0–JH2AQ-4220 में करीब 18 टन कोयला लदा हुआ पाया। तत्पश्चात पकड़ाये गये चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम जयप्रकाश कुमार पिता–दिनेश चौधरी, ग्राम–लेम्बुआ बेहरा, थाना–आमस, जिला–गया (बिहार) एवं ट्रक रजि0 नं0–BR26E-5784 का चालक बताया। तत्पश्चात उक्त चालक से ट्रक में लदे कोयला के सबंध में कागजात की मांग किया गया तो चालक आना कानी करने लगा और कोयला से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखाया और बोला कि उक्त ट्रक में लोड कोयला अवैध है। हाईवा रजि0 नं0–JH2AQ-4220 के संबंध में चालक द्वारा बताया गया कि इसके संबंध में जानकारी नहीं है। इसके पश्चात् हाईवा के केबिन को खोलकर उस पर लदे कोयला से संबंधित वैध कागजात का खोजबिन किया गया परन्तु कोई कागजात नहीं मिला। उक्त दोनों अवैध कोयला लदे वाहनों को जप्त कर अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया। चोरी कर कोयले का अवैध भण्डारण, परिवहन कर व्यापार करना एवं खरीद–बिक्री करना एक संज्ञे अपराध है। प्राथमिकी, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं साक्षियों का बयान, जप्ती सूची एवं अबतक के अनुसंधान से मामला सत्य प्रतीत होता है। काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–BR26E-5784 एवं हाईवा रजि0 नं0–JH02AQ-4220 के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से उनके पते पर भेजा गया तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त 1. ट्रक रजि0 नं0–BR26E-5784 एवं 2. हाईवा रजि0 नं0–JH02AQ-4220 के वाहन मालिक द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त 1. ट्रक रजि0 नं0–BR26E-5784 एवं 2. हाईवा रजि0 नं0–JH02AQ-4220 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन में उपयोग किया गया है। अतः जप्त 1. ट्रक

रजि0 नं0–BR26E-5784 एवं 2. हाईवा रजि0 नं0–JH02AQ-4220 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

04/05/23
उपायुक्त,
लातेहार।

04/05/23
उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 16:54:55 +05:30
Location: 10.93.47.5